

ऊपर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं वह 9 मील या 10 मील की रफ्तार से चलती है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि नैरोगेज को समाप्त करके ब्राड गेज को रखा जाये। शामली, जलालाबाद, शड़ौत और वागतप की जनता के जीवन और समय के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। उस प्राइवेट कन्सर्न को नेशनलाइज करके आप समाप्त कर दीजिए। जब बैंक नेशनलाइज हो चुकी हैं, जमीनें नेशनलाइज हो चुकी हैं तब फिर एस० एस० लाइट रेलवेज को क्यों न नेशनलाइज किया जाये। उसको खत्म करके आप वहां ब्राड गेज कायम कीजिए।

एक बात मुझे यह कहनी है कि हमारे यहां एक भी मैनड क्रासिंग नहीं है, सभी अनमैनड क्रासिंग हैं। श्री गयूर अली खां के एम० पी० के चुनाव में हमारे तीन आदमी इसलिए कट गए क्योंकि अनमैनड क्रासिंग थी। लेकिन इस बात को कोई भी सुनने वाला नहीं है। रेलवे मंत्रालय करोड़ों रुपया इक्कट्ठा करता है लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर 18 हजार अनमैनड क्रासिंग हैं जहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता है।

इसके अलावा एक जो हमारी रेलवे लाइन ग्वालियर से भिड़ तक है वह नैरो-गेज है उसको ब्राड गेज किया जाये और-उसको इटावा से मिलाया जाये। आज के ज़माने में कोई कारण नहीं है कि जो रेलवे 15-15 मील से चल रही हैं उनको रखा जाये।

एक बात मैं टिकट चेकर्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि उनको रनिंग स्टाफ में लिया जाये। जब वे ड्राइवर के साथ चलते हैं, गार्ड के साथ चलते हैं तो फिर उनको रनिंग स्टाफ में क्यों नहीं लिया जाता है? चतुर्वेदी साहब करोड़ों रुपया मांगें, हम देने के लिए तैयार हैं। वे दिनरात निष्कर्मा सेवा करते हैं लेकिन यह क्या मतलब हुआ कि छोटे से कर्मचारी को रोका जाये कि वह डायरेक्ट एप्रोच नहीं कर सकता है। जिस अफसर की शिकायत करने वह आता है वह अफसर उस को तंग कर रहा है, वह उस के

हकूक को छीनने के लिये उस को तंग कर रहा है, वह कैसे उस को इजाजत देगा कि वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से जा कर मिले, वह श्री चतुर्वेदी के पास जाये या रेलवे मिनिस्टर के पास जा कर मिले? डायरेक्ट एप्रोच न होने का कानून अंग्रेज का बनाया हुआ है, आज हिन्दुस्तान आजाद है। हर एक को हक होना चाहिये कि वह अपने बड़े अफसर के पास जा कर सीधे बात कर सके।

एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। आज कल जो ओवर-टाइम अलाउंस है उस को बन्द किया जाये। जो ड्राइवर गाड़ी को लेट लाता है उस को स्पेशल टी० ए० दिया जाता है बजाय इस के जो, आज ऐसा करे उस के ऊपर जुर्माना होना चाहिये उस के करेक्टर रोल में बड़ एंट्री होनी चाहिये। आज बिल्कुल इस का उल्टा किया जाता है। आज जो जितनी लेट गाड़ी लाता है उतना ही ज्यादा भत्ता उस को दिया जाता है। यह हमारी डिसिप्लिन के खिलाफ है और हमारी कोम की तरक्की के खिलाफ है। जिस तरह मे जापान में कोइ ट्रेन 155 मील की घंटे की रफ्तार से नहीं चलती है उमी तरह से हिन्दुस्तान में यह कानून बनाया जाय कि गाड़ी धीमी रफ्तार में न चले, तेज चला करें।

MR. CHAIRMAN: We will continue this discussion tomorrow.

15.32 hrs.

# COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

## FIFTY-SIXTH REPORT

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI (Berhampore): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 1969."

MR. CHAIRMAN: The question is: "That this House do agree with the Fifty-sixth Report of the Committee on Private Members

[Mr. Chairman]

Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 1969."

*The motion was adopted.*

# CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL\*

*(Amendment of Section 423)*

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

MR. CHAIRMAN : The question is : "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898."

*The motion was adopted.*

SHRI M. N. REDDY : I introduce the Bill.

# DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL\*

*(Substitution of Sections 13 and 27)*

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940".

*The motion was adopted.*

SHRI N. K. P. SALVE : I introduce the Bill.

# CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\*

*(Amendment of Article 256)*

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : I beg to move for leave to introduce a

Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

SHRI N. K. P. SALVE : I introduce the Bill.

# CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL\*

*(Amendment of Preamble and article 1, etc.)*

SHRI K. D. TRIPATHI (Unnao) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

*The motion was adopted.*

SHRI K. D. TRIPATHI : I introduce the Bill.

# INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL\*

*(Substitution of Section 17A)*

SHRI S. KUNDU (Balasore) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes Act, 1947.

MR. CHAIRMAN : The question is :

\*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 19-12-69.